

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान- बीकानेर


सेवा समाप्ति आदेश

प्रारूप-6

श्री बनवारीलाल प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय गिरावड़ी जिला झुंझुनूं के रूप में कार्यरत थे, जिनकी जन्म तिथि 15.11.1960 है, का राज्य सेवा में रहते हुए दिनांक 25.02.2018 को निधन हो गया है। अतः श्री बनवारीलाल प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय गिरावड़ी जिला झुंझुनूं की राजकीय सेवाएँ दिनांक 25.02.2018 से समाप्त की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित श्री बनवारीलाल प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय गिरावड़ी जिला झुंझुनूं के विरुद्ध आज तक:-

- 01 राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम 16 व 17 के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 02 राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 03 कोई न्यायिक कार्यवाहियाँ विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


(निधमल डिडेले)

आई.एस.
निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा/संस्था ए-2-7/प्रपत्र-6/सेवा समाप्ति/2018

दिनांक: 17-04-2018

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आदर्शक कार्यवाही हेतु-

- 01 संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग, जयपुर।
- 02 उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा चूरु।
- 03 जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), झुंझुनूं।
- 04 प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय गिरावड़ी जिला झुंझुनूं।
- 05 सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को आदेश विभाग की वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
- 06 अनुभाग अधिकारी विभागीय जांच/वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन अनुभाग।
- 07 आश्रित प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय गिरावड़ी जिला झुंझुनूं।
- 08 भारी- संस्थापन बी-1/3 प्रभाग
- 09 निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्यक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::


प्रारूप-6

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित लोक सेवक प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है। निम्नांकित लोक सेवक राजस्थान सिविल सेवा नियम (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ16(7)एफडी/रुल्स/2006 दिनांक 14.01.2016 की अनुपालना में उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 6 में अंकित दिनांक से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है :-

| क्र. सं. | लोक सेवक का नाम व पदस्थापन स्थान | पद | जन्म तिथि | राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि | स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहने की दिनांक |
|----------|--|-------------------|-----------|------------------------------------|--|
| 1. | श्रीमती सुमित्रा गढवाल वरिष्ठ व्याख्याता (समकक्ष प्रधानाचार्य उमावि) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सीकर | वरिष्ठ व्याख्याता | 21.09.58 | 28.12.79 | 31.07.18 |

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नामित शिक्षा सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम -16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम -19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन / लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।



(नथमल डिडेले)

आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए-2-7/स्वैच्छिक सेनि/2017

दिनांक 17-04-2018

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग
3. संबंधित उप निदेशक (माध्यमिक)
4. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोकर करने का श्रम करें।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
6. संबंधित संस्था प्रधान
7. संबंधित अधिकारी
8. विजांच/वरिष्ठता अनुभाग
9. प्रभारी बी-1/II कार्यालय हाजा।
10. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर